संख्या- 23/2016/147 बीपी/35-1-2016

प्रेषक,

जे.बी.सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 02 अगस्त, 2016

विषय:- बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग की परियोजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग अधीन नये डगवेल का निर्माण नामक परियोजना की वर्ष 2010-11 में शासनादेश संख्या-2374/35-आ-1/2010 दिनांक 27 अक्टूबर, 2010 द्वारा रू. 250.00 करोड़ (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रू. 125.00 करोड़ और मनरेगा रू. 125 करोड़) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 10000.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 432.63 लाख का व्यय किया गया तथा अवशेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2011-12 में परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु रू. 12067.37 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, विभाग द्वारा रू. 2283.25 लाख की धनराशि व्यय की गई और शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2012-13 में परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु रू. 4784.12 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, विभाग द्वारा रू. 1967.47 लाख की धनराशि व्यय की गई और शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2013-14 में परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु रू. 2816.65 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, विभाग द्वारा रू. 2106.60 लाख की धनराशि व्यय की गई और शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2014-15 में परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु रू. 5000.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, विभाग द्वारा रू. 4945.00 लाख की धनराशि व्यय की गई और शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2015-16 में परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु रू. 1890.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई और विभाग द्वारा रू. 1890.00 लाख की पूर्ण धनराशि व्यय की गई। इस प्रकार वर्ष 2015-16 तक परियोजनान्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता लागत के सापेक्ष रू. 13625.00 लाख धनराशि व्यय हुई है। नीति आयोग भारत सरकार के पत्र दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 द्वारा परियोजना के चालू कार्यक्रमों के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता की धनराशि को रू. 161.12 करोड़ अनुमोदित करते हुए परियोजना हेतु कुल मिलाकर रू. 138.49 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। एतद द्वारा परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु वर्ष 2016-17 में विभागीय मॉग के अनुरूप रू. 22.15 करोड़ (रूपये बाइस करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।
2- स्वीकृत की धनराशि का उपयोग कर मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग के पत्रांक 1609/ लसिं/बजट-बुपै/2010-11, दिनांक 16 दिसम्बर 2015 के साथ संलग्न प्रस्ताव के स्तम्भ संख्या-9 के अनुसार कूपों की गहराई बढ़ाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- कार्यों को मानको के अनुरूप गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत में वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी तथा कार्यों को पूर्ण करने के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे दिनांक 31 मार्च, 2017 से पूर्व राजकोष में जमा किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना पूर्व निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को भेजी जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत- 02-पिछड़े क्षेत्र- 800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-20-नये डगवेल का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। उक्त लेखाशीर्ष में प्रश्नगत धनराशि अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत- 02-पिछडे क्षेत्र- 800-अन्य व्यय- 03-बुन्देलखण्ड विशेष योजनायें- 00-42-अन्य व्यय में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर स्वीकृत की गई है। आदेश यूओ संख्या: 09बीके/35-1-2016, दिनांक 28 जुलाई 2016 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की गई है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालयज्ञाप संख्या: 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

जे.बी. सिंह
विशेष सचिव।

संख्या– 23/2016/147 बीपी(1)/35-1-2016 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
4- प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई ।
5- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
6- मण्डलायुक्त, झांसी/ चित्रकूट धाम।
7- जिलाधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
8- मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9- कोषाधिकरी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
10-वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग- 5
11-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
12-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

जे.बी.सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in